

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil Misc. Appeal No. 3994/2015

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री संदीप माथुर।

:: आदेश ::

09.05.2017

कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 की तामील हेतु पी एफ नोटिस मय पेपर बुक सैट पेश नहीं किये गये हैं। इस हेतु योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को दो सप्ताह का समय दिया जाता है, जो पेश होने पर नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-